संख्या:1756/VII-2-09/172–उद्योग/2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा/
पिथौरागढ़/बागेश्वर/चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/टिहरी/
चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 31 जुलाई, 2009

विषयः **वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना) में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या 1064/VII-2-09/172–उद्योग/2006 दिनांक 27 मई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना) हेतु लेखानुदानान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण धनराशि निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 49.91 लाख (रू0 उन्पचास लाख इक्यानब्बे हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि(रू0 लाख में)
नैनीताल	2.88
उधमसिंह नगर	1.60
अल्मोड़ा	4.72
पिथौरागढ़	4.52
बागेश्वर	3.71
चम्पावत	2.80
देहरादून	3.25
पौड़ी	3.90
टिहरी	3.62
चमोली	5.33
उत्तरकाशी	3.78
रूद्रप्रयाग	5.70
हरिद्वार	4.10
कुल योग	**49.91**

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2010 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

5– उक्त जिला योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित निर्देशानुसार किया जायेगा।

7– उक्त व्यय मालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 04–उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना), 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–7 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1756(1)/VII-2-08/172–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
8. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।